4. Consideration and return of the Appropriation Bill relation to Demands for Grant (General) for 2004-05 after it has been passed by Lok Sabha;

5. Consideration and return/passing of:-

The Central Excise Tariff (Amendment) Bill, 2004, as passed by Lok Sabha;

The Delegated Legislation Provisions (Amendment) Bill, 2004;

The Special Tribunal (Supplementary Provisions) Repeal Bill, 2004, after it has been passed by Lok Sabha;

6. Withdrawal of the Aquaculture Authority Bill, 2000;

7. Introduction, consideration and passing of the Coastal Aquaculture Authority Bill, 2004.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special Mentions. Smt. Sarla Maheshwari.

Re. REQUEST FOR MAKING A STATEMENT ON FOREIGN POLICY

SHRI YASHWANT SINHA (Jharkhand): Sir, this is in continuation of the issue that I had raised on the other day in the House. I had suggested that the Prime Minister should come and make a statement on developments on Foreign Policy during the inter session period. Now, we have no information whatsoever from the Government when the Prime Minister is going to make a statement. In the meanwhile, the Secretary of Defence of the United States of America has visited India. Some very important discussions have been held with the Government. The issue of supply of U.S. arms...*(Interruptions)*... Sir, the issue of supply of U.S. arms to Pakistan is not a private business of this Government alone. It is a national issue. We learnt about it from the spokesperson of the External Affairs Ministry to say something. But the Government does not consider it fit to come to Parliament, and take the Parliament into confidence. Important events are taking place and we learn it from newspapers, and there has not been a single occasion on which the Government has found it fit to come to House, to take the House into confidence, to take Parliament into confidence, and let the Members know what is that that they are going to discuss ...*(Interruptions)*... on Foreign Policy ...*(Interruptions)*... They have not given a statement. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Parliamentary Affairs Minister...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, this is a very serious issue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Parliamentary Affairs Minister may convey the feelings of the hon. Member to hon. Prime Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: No, Sir. Every time, we are told that this matter will be conveyed to the Prime Minister and we do not get any response. Where is the Government, Sir? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government is there. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: No, Sir. The Parliament of India cannot be taken for a ride. This Government has taken the Parliament ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you come in front.

SHRI YASHWANT SINHA: No, Sir. Parliament is being treated in a very cavalier fashion. This has never happened. ...*(Interruptions)*... (*Time-bell rings.*) This has never happened, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Parliamentary Affairs Minister will take note of it and then convey the feelings of the hon. Member to the Prime Minister on this issue. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): Sir, I will convey it to hon. Prime Minister. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Sarla Maheshwari. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तराखंड) : उपसभापति महोदय, मुझे एक बात कहनी है। अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने यहां पर अपनी बात कही है, उस संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूँ कि कल जीरो-आवर में भी यहां पर एक प्रश्न उठा था और उस विषय पर पीठ से आदेश हुआ था कि हम संसदीय कार्य मंत्री को कहते हैं कि वे सदन की भावनाओं से प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दें। बाद में संसदीय कार्य मंत्री से जब बात हुई तो वे कहते हैं कि जब पीठ से निर्देश हो गया है तो निश्चित तौर पर ऐसा करना होगा। लेकिन, अभी तक हमें यह नहीं पता कि

उस विषय पर क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी से जिस विषय पर जवाब मांगा गया था, जिस पर पीठ से निर्देश हुआ था कि प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया जाए, ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They discussed it. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज : मगर वापस आकर कोई हमें बताता ही नहीं कि उस संबंध में क्या हुआ? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : ठीक है। स्पेशल मैंशन्स, श्रीमती सरला माहेश्वरी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित ही नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is all the Chair can do. The Chair has given the direction. Mr. Minister, do you want to say anything? ...*(Interruptions)*... सरला जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, मैं आपका ध्यान, पूरे विपक्ष का ध्यान, पूरे सदन का ध्यान एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहती हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया (झारखंड) : महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभापति जी ने मुझे अनुमति दी है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair has given the direction. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: He announced the setting up of an Investment Commission in the meeting of the World Economic Forum. He does not come and make a statement in the House. This is an important issue. What is happening in this House? What is happening to this Parliament? If we disrupt, then everyone says, we disrupt the proceedings of the House. But what is the Government doing? It is not taking the Parliament into confidence. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh) : The announcement of the Investment Commission was part of the Budget which we listened to carefully, we all listened to it. ...*(Interruptions)*... It was there in the Budget. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: Now, Mr. Jairam Ramesh is joining...*(Interruptions)*... Let me tell you that the terms of reference were not conveyed to Parliament. The composition was not conveyed to Parliament. When Parliament is in session, he goes to the World Economic Forum and

makes an announcement about this. There is an important policy statement. The Government should make it in the House...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This will be taken up in the Business Advisory Committee.

श्री उपसभापति : आप बोलिए, नही, हम इसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसकस करेंगे । ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ...**(व्यवधान)**... अरे क्या बात है? ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे की ओर ...**(व्यवधान)**... पूरे सदन का ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइए। जब मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह क्या है सर, बार-बार मैं एक ही बात को बोल रही हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : इसको इनक्वायर करेंगे। ...**(व्यवधान)**... अब आदेश दिया गया है। ...**(व्यवधान)**... नही, इसीलिए कहा कि हम डिसकस करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्होंने इतना गम्भीर विषय उठाया, आसंदी से भी निर्देश हुआ, लेकिन सरकार चुप है। सरकार यह भी नही जानती कि प्रधानमंत्री कब आयेंगे। ...**(व्यवधान)**... पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ नही हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : सरला जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... मिस्टर नारायणसामी, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... you want to say anything......*(Interruptions)*...... पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर कुछ कहना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... वे कुछ कहना चाहते हैं, तो सुनिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कहे, कहे।

SHRI B.K. HANDIQUE: Mr. Deputy Chairman, Sir, I didn't leave the House. You have kindly instructed me to convey the sentiments of the House to the hon. Prime Minister. That's why I left and if you...*(Interruptions)*... Can I leave and convey to him? Thank you, Sir... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is going to convey. आप बोलिए। आप बैठ गए तो मैं...।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : थोड़ी शांति मिले तो मैं बोलूँ। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, he has taken the permission ...*(Interruptions)*... The Cabinet Minister is here कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : सर, मैं यह कह रहा था कि पी.एम. को कॉन्वे करने के लिए दो-चार रिक्वेस्ट और हो जाए, तो सब चले जायेंगे, सर।

श्री उपसभापति : आप बोलिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय उपसभापति महोदय, चूँकि मैं अपनी बात सबको सुनवाना चाहती हूँ। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इसलिए सदन में शान्ति चाहती हूँ।

श्री उपसभापति : अब शान्ति है, बोलिए।

SPECIAL MENTIONS

Demand for Enactment of Law for Universal Employment Guarantee

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, आर्थिक उदारतावाद और ढांचागत समायोजन की नीतियों का सबसे बुरा प्रभाव हमारे देश की ग्रामीण गरीब जनता, विशेषकर महिलाओं पर पड़ रहा है। कहीं भी अगर रोजगार में कमी आती है तो उसकी पहली चोट महिलाओं के रोजगार पर पड़ती है। हमारे गांव की गरीब महिलाओं पर आज यह मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। इसलिए मैं यू.पी.ए. सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ कि उसने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करने में किसी प्रकार का विलंब न किया जाए तथा सी.एम.पी. में उल्लिखित राष्ट्रीय गारंटी रोजगार कानून को यथाशीघ्र पारित किया जाए। इसके साथ ही मेरी यह मांग भी है कि योजना आयोग ने नए रोजगारों में कम से कम चालीस प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए गारंटी करने की जो सिफारिश की है उसे भी इस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के निर्माण में पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार द्वारा इस कानून का जो मसविदा प्रस्तावित किया गया है उस मसविदे में ऐसी कई अस्पष्टताएं हैं जिन पर यदि सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो यह कानून शायद ही कहीं अमल में आ पाएगा। इस मसौदे में ग्रामीण रोजगारों के सृजन के कार्यक्रम के लिए वित्त की व्यवस्था कौन करेगा ? इसके बारे में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। आज राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है उसे देखते हुए इस कार्यक्रम के लिए समूचे वित्त की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को लेनी होगी अन्यथा यह समूचा कार्यक्रम कागजी बनकर रह जाएगा। मेरी यह भी मांग है कि गांव के लोगों को साल में कम से कम सौ दिन रोजगार मुहैया कराने वाला कार्यक्रम सिर्फ 150 सबसे गरीब जिलों अथवा बी. पी. एल. के परिवारों के लिए सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके दायरे में समूचा देश आना चाहिए। इस प्रकार केन्द्र द्वारा मुहैया कराए गए वित्त के आधार पर गांव के प्रत्येक व्यस्क व्यक्ति के लिए एक सार्विक रोजगार राष्ट्रीय गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए।

उपसभापति महोदय, इस माँग पर आज पूरे देश भर की महिलाएँ आन्दोलन कर रही हैं और इसलिए सड़क की माँग को मैं संसद में लेकर आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि सरकार इस माँग पर ध्यान देगी।